

14/1155/14015330

0258840

अनुक्रमांक
0504676

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, पूर्णिया



HSIBUP-2004

हाई स्कूल परीक्षा, २००४

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

SIDDHARTH JAIN

आत्मज/आत्मजा श्रीमती

SARLA JAIN

एवं श्री

ASHOK KUMAR JAIN

ने जिनकी जन्मतिथि

30TH DECEMBER NINETEEN HUNDRED & EIGHTY NINE (30/12/89)

है, वर्ष २००४ की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है -

1. HINDI

2. ENGLISH

3. MATHEMATICS

4. SCIENCE

5. SOCIAL SCIENCE

6. DRAWING

CATEGORY OF MORAL EDUCATION : A

उत्तीर्ण श्रेणी

SECOND

विद्यालय/केन्द्र

N K B S U I COLLE PREMPURI MUZAFFARNAGAR

प्रमाण पत्र क्रमांक

इलाहाबाद

दिनांक

14019272

REGULAR

31/05/2004

(बासुदेव यादव)

सचिव

'D' का अर्थ सम्बन्धित विषय में 'विशेष योग्यता' है।

'HONOURS' का अर्थ 'सम्मान सहित उत्तीर्ण' है।

टीप-विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर अंकित है।

max sample
28/05/09
प्रधानाचार्य

नवीन कुमार भारती
शिशु उपवन इन्टर कालेज
मुजफ्फरनगर ।

2004

HIGH SCHOOL EXAMINATION 2004

SL. NO.	ABBREVIATED	NAME OF THE SUBJECT	SL. NO.	ABBREVIATED	NAME OF THE SUBJECT
1.	ELE HINDI	ELEMENTARY HINDI	13.	DM DECORATN	DRESS MAKING & DECORATION
2.	MUSIC INSTRUMTL	MUSIC INSTRUMENTAL	14.	FD PRESERVE	FOOD PRESERVATION
3.	ELE MATH	ELEMENTARY MATHEMATICS	15.	A AUDITING	ACCOUNTANCY & AUDITING
4.	TXT DESIGN	TEXTILE DESIGN	16.	SH & TYPE	SHORTHAND TYPE
5.	LIB SCIENCE	LIBRARY SCIENCE	17.	BANKING	BANKING
6.	COOKERY	COOKERY	18.	TYPIING	TYPING
7.	PHOTOGRAPHY	PHOTOGRAPHY	19.	FP TECHNOLOGY	FRUIT PRESERVATION TECHNOLOGY
8.	B CONFECNRY	BAKING & CONFECTIONARY	20.	CP TECHNOLOGY	CROP PROTECTION TECHNOLOGY
9.	BEE KEEPING	BEE KEEPING	21.	PRINTING	PRINTING
10.	PLT NURSERY	PLANT NURSERY	22.	RT TECHNIC	RADIO & TELEVISION TECHNIC
11.	AUTOMOBILE	AUTOMOBILE	23.	W TECHNOLOGY	WEAVING TECHNOLOGY
12.	LD DYEING	LAUNDRY & DYEING			

प्रधानाचार्यों एवं परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

प्रधानाचार्य प्रमाणपत्र को वितरित करने के पूर्व उसमें अंकित प्रविष्टियों का मिलान अपने मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें और यदि कोई त्रुटि है तो अपनी संस्तुति के साथ सुसंगत साक्ष्यों को संलग्न करते हुए संशोधन के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव को तत्काल मूल प्रमाण-पत्र के साथ भेजें। परीक्षार्थी प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व स्वयं देख लें, यदि प्रमाण-पत्र में अंकित प्रविष्टियों में कोई त्रुटि है तो उसकी शुद्धि के लिए प्रधानाचार्य के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव को तत्काल प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दें। परिषद् कार्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गमन की तिथि के दो वर्ष बाद प्रमाण-पत्र में संशोधन के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र पर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम 7 के अनुसार विचार करना सम्भव नहीं होगा।